लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 मार्च, 2019 ई० (फाल्गुन 25, 1940 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

12 मार्च, 2019 ई0

सं0 परिषद्-9/1097–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1174/15-7-2018-1(25)/2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 तथा पत्र संख्या-1703/15-7-2018-1(25)/2018, दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-3(ख) तथा अध्याय-बारह के विनिमय-21 (ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है :–

अध्याय-सात

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
विनियम–3(ख)	**विनियम–3(ख)**
(एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये मान्यता के निमित्त–रुपये 10,000।	(एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये मान्यता के निमित्त–रुपये 30,000।
(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त–रुपये 05,000।	(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त–रुपये 20,000।
(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये वन टाइम मान्यता के निमित्त–रुपये 10,000 प्रतिवर्ग।	(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये वन टाइम मान्यता के निमित्त–रुपये 30,000 प्रतिवर्ग।
(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त–न्यूनतम रुपये 5,000 के अधीन रखते हुये रुपये 2,500 प्रति विषय।	(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त–न्यूनतम रुपये 10,000 के अधीन रखते हुये रुपये 5,000 प्रति विषय।
(पांच) विलम्ब शुल्क 01 जनवरी से 31 जनवरी तक–रुपये 5,000।	(पांच) विलम्ब शुल्क 16 जुलाई से 31 जुलाई तक–रुपये 20,000।

50 प्र०ग०-1-A+8

Scanned by CamScanner

अध्याय-बारह

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
विनियम–21(ख) सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र के साथ रु0 100.00 विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से निर्धारित शुल्क का कोष-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु रु0 100.00 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इलाहाबाद शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिये।	**विनियम–21(ख)** सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र के साथ रु0 500.00 प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क का कोष-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु रु0 500.00 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इलाहाबाद शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिये। व्यावसायिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये सन्निरीक्षा शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रश्नपत्र तथा प्रयोगात्मक विषय हेतु रु0 500.00 पृथक से देय होगा।

नीना श्रीवास्तव,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 4–2019 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–102 मा0शि0प0–14-03-2019-1000 प्रतियां (मोनो / डी0टी0पी0 / आफसेट)।

Scanned by CamScanner